विहार विधान-सभा वाद्‌वृत्त

(भाग 1—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

शुक्रवार, तिथि 16 जुलाई 1982 ई०।

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर सं० 16 पूर्ण उत्तर के लिए स्थगित, 17 एवं 18 पूर्ण उत्तर के लिए स्थगित।	1—8
तारांकित प्रश्नोत्तर सं० 1277, 1279, 1916 पूर्ण उत्तर के लिए स्थगित; 1917, 1920, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1928, 1929, 1930, 1931 एवं 1932।	10—26
परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर) (सभा मेज पर रखे गये प्रश्नोत्तर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर सं० 20	28
तारांकित प्रश्नोत्तर सं० 1935, 1939, 1940, 1941, 1 43, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1951, 1952, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 1969, 1973, 1974, 1975, 1978, 1983, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012, 2013, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2026, 2029, 2033, 2034, 2035, 2037, 2038, 2040, 2042, 2043 एवं 2044।	28—67
दैनिक निबंध	69

टिप्पणी—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिया गया है।

श्री पांडेय पर कार्रवाई।

2003. **श्री जंगी सिंह चौधरी**—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि श्री इन्द्रमाजीत पांडेय को ग्राम कुसम्मारा, थाना विक्रमगंज में रोहतास के पास नहरी सिंचित क्षेत्र में 250 एकड़ जमीन है;

(2) क्या यह बात सही है कि श्री पांडेय सीलिंग में अभीतक अपनी जमीनों का विवरण एवं शपथ-पत्र नहीं दिये हैं;

(3) क्या यह बात सही है कि श्री पांडेय ने मौजा नटवार खुर्द, थाना दिनारा में चार बीघा जमीन बिना अनुमति के 1980-81 में श्री अरुण कुमार चौबे के नाम से बेची किया है;

(4) क्या यह बात सही है कि थाना विक्रमगंज, मौजा राघोपुर के खाता नं० 65, रकबा 2.84 एकड़ जमीन अपनी पतोहू के नाम पर क्रय किया है, जो सीलिंग रिटर्न में नहीं दिखायी गयी है;

(5) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नियम की अवहेलना के लिए श्री अरुण पांडेय पर कार्रवाई करना चाहती है?

श्री लहटन चौधरी—(1) उत्तर नकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि श्री इन्द्रमाजीत पांडेय के पास कुल 108.67½ एकड़ भूमि पायी गयी है जिसमें से मात्र 88.98½ एकड़ नहर से सिंचित है।

(2) उत्तर नकारात्मक है। भूधारी द्वारा दिनांक 3 मई 1974 को रिटर्न दाखिल किया गया।

(3) इस संबंध में आवश्यक जांच की जा रही है।

(4) वस्तुस्थिति यह है कि विक्रमगंज, मौजा राघोपुर, थाना नं० 331, खाता नं० 65 में 2.36 एकड़ भूमि श्री रविन्द्र पांडेय एवं श्री हरिहर पांडेय की पत्नियों के सम्मिलित नाम से खरीदी गयी जिसमें भूधारी श्री इन्द्रमाजीत पांडेय के परिवार का आधा हिस्सा होता है। इस भूमि की लेखा भूधारी की कुल भूमि में कर दी गई है।

(5) भू-हदबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत इनके विरुद्ध भू-हदबन्दी वाद चलया गया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 10(2) के अंतर्गत दिनांक 26 मई 1982 को जमीन की विवरणी का प्रारूप प्रकाशन भी किया गया। प्रारूप प्रकाशन के अनुसार भूधारी के पास 10.71 एकड़ भूमि अधिशेष पायी गयी है। चूंकि श्री पांडेय ने रिटर्न दाखिल किया था अतः उनके द्वारा नियम के उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता है।